

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : **UPFS/2024/122929/KHR/KHERI/871/CFO**दिनांक : **29-06-2024**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **Ajmani International School** पता **395,397,398,Rajapur Lakhimpur kheri LRP Road Rajapur lakhimpur,lakhimpur** तहसील - **lakhimpur** प्लाट एरिया **7725.24 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **11162.39** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **2** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
school building	4	1	14.60 mt.
Office block	1	1	14.60 mt.

एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **03-07-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **JASMEET SINGH AJMANI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **03-07-2024** से **03-07-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **Ajmani International School** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **Ajmani International School** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1 -शासनादेश संख्या 18 /छ:-पु-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी , 2022 के अनुसार सेट बैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है जिसका निस्तारण सत्ता प्राधिकारी द्वारा कराया जाना आवेदक का दायित्व होगा, 2 - इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट कराना सुनिश्चित करेंगे 3 -फायर सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाय 4 - अग्निशमन उपकरणों को 24x 7 कार्यशील रखा जाय 5 - फायर ड्रिल नियमित अन्तराल पर कराना सुनिश्चित करे 6 - लिफ्ट का मेंटीनेंस /सर्टिफिकेट रखेंगे

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

AKSHAY RANJAN SHARMA

B5059A971A0EC58A22283AE92E62B3AD6E9BE1CD

03-07-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **03-07-2024**
स्थान : **KHERI**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.